महत्वपूर्ण/ अति आवश्यक

संख्या- 330/ एक-14-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी/ अभिलेख अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-14 लखनऊः दिनाँकः 16 जून, 2020

विषयः-ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र का समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि संयुक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0-19011(35)/1/2019-ई-पंचायत दिनाँक 23 मार्च, 2020 द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्र के विधिमान्यीकरण हेतु ग्रामीण आबादी क्षेत्र का समुचित अभिलेख तैयार करने के लिए नवीन ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख तैयार करने की केन्द्र सरकार की योजना से अवगत कराया गया है। 'स्वामित्व' नामक इस योजना का शुभारम्भ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिनाँक 24 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजना का स्वरूप निम्नवत है-

1- स्वामित्व योजना का उद्देश्य और परिक्षेत्र

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना ''स्वामित्व'' का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

1.1. योजना के उद्देश्यः- योजना में निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य हैः -

1.1.1 ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1.1.2 ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना।

1.1.3. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां ये विकसित हैं या, राज्य कोषागार को प्राप्त होगा।

1.1.4. सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्शों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है।

1.1.5. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना।

1.1.6. संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।

2. <u>योजना के घटक</u>

2.1. योजना के तहत शामिल किए जाने वाले क्रियाकलापों की संक्षिप्त रूपरेखाः-

2.2 सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना - कोर्स नेटवर्क भूमि नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना में सहायता करता है, जो भू-संदर्भन, भू-सत्यता और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है।

2.3 ड्रोन का उपयोग करते हुए वृहद स्तर पर मानचित्रण (एलएसएम) - भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आबाद (अबादी) क्षेत्र का मानचित्रण किया जाएगा। यह संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन और सटीक नक्शे तैयार करेगा। इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर, ग्रामीण गृहस्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।

2.4 आईईसी कार्यकलाप / जागरूकता कार्यक्रम - ग्रामीण आबादी को सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में परिचित कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

2.5 स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग ''ग्राम मानचित्र'' का संवर्धन - जीपीडीपी तैयार करने में सहयोग के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/नक्शे का लाभ उठाया जाएगा।

2.6 ऑनलाइन निगरानी प्रणाली - ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करेगा।.

2.7 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई - योजना का कार्यान्वयन नियमित विभागीय तंत्रों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों { क-राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू), ख-राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)} द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

3. <u>योजना घटकों का विवरण</u>-

3.1. सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली (कोर्स) नेटवर्क की स्थापना - सतत संचालन संदर्भ स्टेशन संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक आभासी आधार स्टेशन उपलब्ध कराता है जो लंबी रेंज की उच्च सटीकता वाले नेटवर्क आरटीके सुधारों का अभिगम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रदान करता है। आरटीके नेटवर्क संदर्भ स्टेशनों के नेटवर्क वाले एक बड़े क्षेत्र में आरटीके का उपयोग विस्तारित करते हैं। कोर्स नेटवर्क में सटीकता बढ़ जाती है, क्योंकि एक से अधिक स्टेशन एक ही आधार स्टेशन के झूठे आरंभीकरण के बारे में सही स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कोर्स नेटवर्क की स्थापना, जिओड मॉडल तैयार करेगा और कोर्स नेटवर्क स्टेशनों के संचालन और रखरखाव और 5 साल के लिए कोर्स नेटवर्क सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। कोर्स नेटवर्क बिना किसी शुल्क या बहुत मामूली शुल्क पर लाइसेंस के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के विभाग के लिए उपलब्ध होगा। स्थापित किये गये कोर्स नेटवर्क केन्द्र व उपकरणों की सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा करायी जायेगी।

3.2. ड्रोन का उपयोग करते हुए वृहद स्तर पर मानचित्रण - स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व नक्शे तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य राजस्व विभाग के सहयोग से ग्रामीण आबादी क्षेत्र का मानचित्रण किया जाएगा। इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर, आबादी क्षेत्र में ग्रामीण गृहस्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक चित्र आधारित नक्शे, विरासत राजस्व रिकॉर्ड रहित क्षेत्रों में संपत्ति धारण के अधिक टिकाऊ अभिलेख के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे। मुख्य कार्यकलापों में शामिल हैः

i. चित्रों का अधिग्रहण-

क. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन का प्रापण

ख. ड्रोन उड़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इत्यादि से अनुमति या स्वीकृति

ग. ग्रामीण आबादी भूमिधारकों को नोटिस जारी करके आबादी क्षेत्र का सीमांकन

घ. सफेद खड़िया पाउडर (चूना इत्यादि) इस्तेमाल करते हुए सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र में टुकड़ों/संपत्तियों का चिन्हांकन

ङ. उपलब्ध नक्शों/उपग्रह इमेजरी डेटा का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन उड़ाने के लिए मिशन नियोजन

च. नियंत्रण और जांच बिंदुओं का प्रावधानः - भूमि नियंत्रण बिंदुओं (जीसीपी) क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नियंत्रण की स्थापना, सभी नियंत्रण बिंदुओं के स्थान, रेखाचित्र, विवरण और आईडी को जीआईएस में रखना चाहिए और अक्षांश/देशांतर की दोनों प्रणाली और डब्ल्यूजीएस-84 और कोर्स नेटवर्क के माध्यम से यूटीएम समन्वय प्रणाली जोन में रखना आवश्यक है

छ. ड्रोन या यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी का व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड यूएवी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ज. ड्रोनों, डेटा प्रसंस्करण ब्लॉक नियंत्रण और समायोजन-एटी((नभस्थ त्रिभुजन)/ डीईएम(डिजिटल एलीवेशन मॉडल) सृजन और डीटीएम (डिजिटल टेरेन मॉडल) प्रसंस्करण और अन्य ऑर्थो-ऑर्थो-रेक्टिफाइड चित्रों (ओआरआई) से प्राप्त डेटा का प्रसंस्करण

ii. **फीचर निष्कर्षण और आधार मानचित्र सृजनः-**

क. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सभी स्थलाकृतिक फीचर्स के निष्कर्षण के लिए ओआरआई का उपयोग किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत और राज्य के राजस्व विभाग यानी ग्राम निवासियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भूमि में चिन्हित संपत्ति सीमाएं शामिल हैं। राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग सुविधाओं या परिसंपत्तियों जैसे खुले भूखंडों, सरकार के स्वामित्व की भूमि, ग्राम सभा के स्वामित्व की संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्तियों की पहचान के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) फीचर निष्कर्षण टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

ख. डिजिटल नक्शे पर राज्य राजस्व विभाग की अपेक्षा के अनुसार 2डी/3डी फीचर्स निष्कर्षण और विशिष्टताओं का सीमांकन

ग. जीआईएस डेटाबेस में ओजीसी (खुली भूस्थैतिक कंसोर्टियम) के अनुकूल विशेषता सूचना और अन्य माध्यमिक जानकारी का समावेश

घ. डीईएम का सृजन और 1500 के पैमाने पर भूमि खंडों के नक्शे तैयार करना

ङ. राज्य राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई संख्या प्रणाली के अनुसार लाल डोरा क्षेत्र के भीतर संपत्तियों/संरचनाओं की संख्याकन।

iii. सटीकता के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ओआरआई और डिजिटल नक्शों का भू सत्यापन।

iv. भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य के राजस्व विभाग द्वारा सहयोग से भू-खंड नक्शों का भू-सत्यांकन और सत्यापन

v. अंतिम एलपीएम (लैंड पार्सल मैप्स), गांव के नक्शों/डिजिटल जीआईएस नक्शों और जीआईएस डेटाबेस के वैधीकरण के बाद सत्यापन, सृजन

vi. राज्य के राजस्व विभाग और राज्य के ग्रामीण विकास/पंचायत राज विभाग को रक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित अंतिम डिलिवरेबल्स (अंतिम नक्शे और जीआईएस डेटाबेस) सौंपना। डिलिवरेबल्स में एक कार्यशील जीआईएस डेटाबेस और एप्लिकेशन शामिल होना चाहिए ताकि बाद में बिना किसी लाइसेंस शुल्क के डेटा का अद्यतनीकरण और डेटा का उपयोग संभव हो सके।

vii. पंचायती राज मंत्रालय को (एनआईसी-जीआईएस प्रभाग के माध्यम से) गांव के नक्शे और डिजिटल डेटाबेस सौंपना

viii. राज्य प्रशासन/राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति कार्ड जारी किया जाना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ix. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को व्यावहारिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण

3.3. सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) कार्यक्रम -

सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में स्थानीय आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकार व्यापक संचार कार्यनीति विकसित करेगी। ऐसी जागरूकता को सुविधाजनक बनाने के लिए, मैनुअल्स, फ्लिप बुक्स, पोस्टर, रोल प्ले, कठपुतली शो, होर्डिंग, पर्चे वितरण, गांवों में सार्वजनिक घोषणा, सूचना दीवारों की तरह स्थायी प्रदर्शन, निश्चित दिनों में नागरिक सूचना काउंटर के रूप में संचार सामग्री विकसित की जा सकती है।

3.3.1. **स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग "ग्राम मानचित्र" का संवर्धन-** जीपीडीपी तैयार करने के लिए जीआईएस नक्शों/तकनीक का लाभ उठाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग "ग्राम मानचित्र" का कार्यान्वयन किया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण में प्रगति के साथ ही, ड्रोन सर्वेक्षण के तहत तैयार किए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/नक्शों को जीपीडीपी तैयार करने में सहयोग के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के सृजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

3.3.2. **ऑनलाइन निगरानी प्रणाली** - ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड को स्वामित्व स्कीम के वास्तविक समय की निगरानी के लिए केंद्रीय रूप से होस्ट किया जाएगा। यह योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करेगा। राज्य परियोजना प्रबंधन एकक प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी से ऑनलाइन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

3.3.3. **परियोजना प्रबंधन** - योजना का कार्यान्वयन नियमित विभागीय तंत्रों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन एककों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य और जनपद स्तर पर समग्र प्रबंधन, योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी और राज्य के राजस्व विभाग, जिले के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सहायता प्रदान करने के लिए गठन किया गया है।

4. <u>सर्वेक्षण प्रक्रिया</u>

4.1. सर्वेक्षण पद्धति/प्रक्रिया -

4.1.1. सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ-

i.सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ii. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिलाधिकारी एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र (4) को अधिसूचित करेगा।

iii. पंचायती राज विभाग गांव के निवासियों को सर्वेक्षण की अनुसूची के बारे में सूचित करने और सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम सभा में बैठकें आयोजित करेगा।

iv. जिलाधिकारी द्वारा ग्राम आबादी में व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल,
सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की ग्राउंड मार्किंग हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्रोन की संख्या के आधार पर प्रति ड्रोन न्यूनतम 12 सर्वे टीमें गठित की जायेंगी।

v. इन टीमों में राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत व पुलिस विभाग के कर्मचारी सदस्य होंगे। इन टीमों का नेतृत्व नायब तहसीलदार/सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

vi. ग्राउंड मार्किंग व चूना डालने की कार्यवाही का उपजिलाधिकारी व तहसीलदार द्वारा न्यूनतम एक ग्राम का निरीक्षण प्रतिदिन किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा भी इस कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा।

vii. यह टीमें प्रतिदिन 12 ग्राम प्रति ड्रोन के अनुसार ग्राम आबादी में व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की ग्राउंड मार्किंग चूना डालकर करेंगे। विवादित सम्पत्तियों के चिन्हांकन के लिये चूने की दोहरी रेखा का प्रयोग किया जा सकता है।

viii. एसओआई नागरिक उड्डयन महानिदेशालय/रक्षा मंत्रालय से ड्रोन उड़ाने के लिए अपेक्षित अनुमति लेगा।

ix. उपलब्ध मानचित्रों/उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके ड्रोन उड़ान के लिए मिशन योजना तैयार की जायेगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

4.1.2. सर्वेक्षण गतिविधियाँ-(मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा)

i. तहसील/जिलाधिकारी द्वारा एसओआई को स्कैन किए गए नक्शे प्रदान किये जायेंगे।

ii. एसओआई को उड़ान भरने से पहले ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स या चेक पॉइंट्स की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानव रहित हवाई वाहन/ड्रोन का उपयोग कर एरियल छवियां लेना।

iv. ड्रोन के माध्यम से ली गई छवियों की जांच भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में की जाएगी।

v. आंकड़ा प्रोसेसिंगः बेसमैप जनरेशन और 2 डी फ़ीचर एक्सट्रैक्शन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vi. जीआईएस डेटाबेस का निर्माण

vii. 10 सेमी से अधिक सटीकता के लिए संसाधित छवियों का भू सत्यापन।

4.1.3. सर्वेक्षण-पश्चात गतिविधियां-

i. राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व के संयुक्त सत्यापन के लिए विधिक अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

ii. स्वामित्व के अभिधारण के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जायेगी और सर्वेक्षण अधिकारी/विहित प्राधिकारी ग्राम सभाओं, भूमि मालिकों की मदद से भूमि पार्सल के स्वामित्व को सत्यापित करेंगे और मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा भी करेंगे।।

iii. अंतिम परिणामों का वैधानिकता प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी। जांच अधिकारी (सर्वेक्षण विभाग से) स्वामित्व को फिर से सत्यापित करेगा और संपत्ति के मालिकों से प्राप्त किसी भी सर्वेक्षण के बाद की आपत्तियों का निराकरण करेंगे तथा ये सुधार मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं, संयुक्त होल्डिंग आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं। अनसुलझी आपत्तियों/विवादों के लिए, अंतिम निर्णय जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी के पास रहेंगे।

iv. ग्राउंड ट्रूथिंग जांच प्रक्रिया और विवाद समाधान के बाद अंतिम डिजिटल मानचित्रण/ एलपीएम / डीईएम / जीआईएस डेटासेट बनाएं जाएंगे और उपयोग के लिए मानक प्रक्रिया के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय/अधिकृत एजेंसी को सौंप दिए जाएंगे ।

v. ग्राम के घरेलू मालिकों (संपत्ति के स्वामित्व के विधिक अभिलेख) के लिए संपत्ति कार्ड का मुद्रण और वितरण।

vi. अभिलेखों का उचित भंडारण और नियमित अद्यतन नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।,

vii. ग्राम पंचायत के संपत्ति कर और संपत्ति रजिस्टर को ग्राम पंचायत अद्यतन करेगी।

viii. जिलाधिकारी राजस्व नक्शों के नियमित अद्यतन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. <u>हितधारको</u>(Stake Holders) <u>की भूमिका व उत्तरदायित्व</u>

5.1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग-

i. भारतीय सर्वेक्षण द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला छवियों आदि के प्रसंस्करण से संबंधित परियोजना के भाग का क्रियान्वयन भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसी के परिसर में निकट देखरेख में किया जाएगा।

ii. परियोजना के तहत किसी भी गतिविधि की आउटसोर्सिंग के लिए भारतीय सर्वेक्षण आरएफपी/ बोलियों की तैयारी, बोलियों के प्रसंस्करण, कार्य आवंटन, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता की जांच और अनुबंध के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

iii. एसओआई सर्वेक्षण गतिविधियों के सर्वेक्षण नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा

iv. ड्रोन उड़ान, आंकड़ा पुनरीक्षा और अंतिम वर्गीकरण के लिए सभी क्लीयरेंस भारतीय सर्वेक्षण द्वारा ली जाएगी।

v. पांच वर्षों के लिए सीओआरएस (निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन) की स्थापना के साथ-साथ उनका संचालन और रखरखाव ।

vi सभी सतत परिचालन संदर्भ स्टेशनों को भारत के बेंचमार्क के सर्वेक्षण के आधार पर उच्च परिशुद्धता / सटीक लेवलिंग के साथ जोड़ा जाएगा

vii. राज्य के ग्रामीण आबादी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानवरहित हवाई वाहन / ड्रोन का उपयोग करके ऐरियल इमेज लेना।

viii. मानव रहित हवाई वाहन छवियों की प्रसंस्करण के पश्चात क्षेत्रीय केंद्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यह डाटा प्रोसेसिंग के लिए जीआईएस प्रयोगशाला का उपयोग करेगा।

ix. आंकड़ा प्रसंस्करण और विशेषता निष्कर्षणः ऑर्थो रेक्टीफाइड इमेज, और स्थलाकृतिक सुविधाओं का निष्कर्षण।

x. राज्य सरकार द्वारा एकत्र/प्रदान की गई विशेषताओं को उनकी संबंधित विशेषताओं से जोड़ा जाएगा जिससे सभी सुविधाओं और उनकी संबंधित जानकारी का एक डिजिटल स्थानिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। एसपीएमयू के समन्वय से विशेषता तालिका में आकड़ा प्रविष्टि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी।

xi. नियमावली में विहित की गई संख्यांकन प्रणाली के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भीतर संपत्तियों/ढांचों का संख्यांकन ।

xii. ग्राउंड-ट्रूथिंग और ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड छवियों से प्राप्त स्थलाकृतिक विशेषताओं का सत्यापन

xiii. उपयुक्त सॉफ्ट कॉपी आकार फ़ाइल स्वरूपों में अद्यतन भूमि पार्सल मैप्स (एलपीएम) मुद्रण स्वरूपों और अन्य भौगोलिक सूचना प्रणाली संगत प्रारूपों का निर्माण संगत जिनको सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा। लैंड पार्सल मैप्स उत्पाद में राजस्व विभाग की आवश्यकता के अनुसार एक जैसे विशेषताओं के साथ-साथ स्थलाकृतिक विशेषताओं, मानव निर्मित संरचनाओं, भूमि पार्सल सूचना, जिला/तहसील/गाँव की सीमाओं की जानकारी आदि की विभिन्न परतों द्वारा आधार मानचित्र को शामिल करेंगे।

xiv. ओपन जियोस्पैटियल कंसोर्टियम (ओजीसी) को लागू करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की पीढ़ी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटाबेस डेटा मॉडल का स्थानिक और विश्वसनीय आकड़ा संग्रहीत करने के लिए परत संरचना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

xv. रक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षा की गई वितरण योग्य/डेलिवेयरवल्स को पंचायती राज मंत्रालय/राज्य अधिकारियों को सुपुर्दगी/सौपना ।

xvi. विभिन्न अनुप्रयोगों, प्रौद्योगिकियों के संचालन और उपयोग पर राज्य राजस्व विभाग में नामित कार्मिकों जो परियोजना में उपयोग किए जाने हैं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण ।

5.2. राज्य राजस्व विभाग-

i. राज्य संपत्ति कार्ड को अधिकार और वैधानिकता प्रदान करने तथा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण की गतिविधियों द्वारा सीमा की जाँच हेतु राजस्व संहिता-2006 में उचित संशोधन करेगी और आबादी सर्वेक्षण नियमावली का प्रख्यापन करेगी ।

ii. सीओआरएसस स्थल चयन और स्थापना कार्य और उपकरणों की भौतिक सुरक्षा और फील्ड दलों के लिए स्थानीय अधिकारियों के समर्थन के साथ क्षेत्र सर्वेक्षण गतिविधियों की सुविधा, फील्ड वाहनों को किराए पर लेना, स्थानीय मजदूरों को काम पर रखना, फील्ड दलों के लिए आवास आदि की व्यवस्था तहसील/ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी।

iii. प्रत्येक ड्रोन/मानवरहित हवाई वाहन उड़ान दल राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत और पुलिस विभाग के कम से कम एक कर्मचारी के साथ होगा।

iv. क्षेत्र में ड्रोन उड़ने से पहले मालिकों और ग्राम पंचायत के साथ चूना लाइनों के साथ संपत्ति की सीमाओं को चिह्नित करना।

v. एसओआई दल को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषता निष्कर्षण में सहायता करना।

vi. प्रविष्टि और सम्बद्धता के लिए जरूरी सूचना प्रदान करनाः एक मानकीकृत आंकड़ा संग्रह प्रारूप प्रक्रिया को सरल और गति प्रदान करने के प्रयास के रूप में प्रदान किया जाएगा। विशेषता आंकड़ा की शुद्धता राज्य सरकार/जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

vii. ओआरआई आंकड़ा की जाँच और सत्यापन के लिए जमीनी गतिविधियाः भूमि पार्सल मानचित्रों की ग्राउंड-ट्रूथिंग और वैधता तथा विशेषता सूची से संबंधित कार्यवाही नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाएंगी।

viii. अंतिम परिणामों को वैधानिकता प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी करना।

ix. राजस्व मानचित्र और उसके बाद के कार्यों को अंतिम रूप देना।

x. ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए अधिकारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए एसओआई के साथ समन्वय करना।

xi. ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड जारी करना।

xii. राज्य सरकारें इस स्कीम के तहत सृजित आंकड़ों का प्रबंधन और रखरखाव करेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क. संपत्ति आंकड़ा/मानचित्र, एलएमपी मानचित्र और सृजित डिजिटल आंकड़ों को राज्य राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखा जाएगा।

ख. सर्वेक्षण के बाद बनाए गए मानचित्रों की हार्ड प्रतियां रखी जाएंगी

1. ग्राम पंचायतों में
2. तहसील अभिलेखागार में
3. जिला अभिलेखागार में
4. राज्य अभिलेखागार में

ग. भूमि रिकॉर्ड विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) स्कीम के तहत उपलब्ध एवं वित्त पोषित डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस स्कीम के तहत बनाए गए डेटा की होस्टिंग और संचयन के लिए उपयोग किया जाएगा।

5.3 राज्य पंचायती राज विभाग-

i. मानचित्रों के सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के बाद के सत्यापन की अनुसूची को सूचित करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन।

ii. परियोजना कार्य और आरजीएसए निधियों का लाभ उठाने के बारे में ग्रामीणों को संवेदनशील बनाने के लिए सहायता प्रदान करना।

iii. ग्राम पंचायतों के माध्यम से संपत्ति (कर) रजिस्टर को तैयार करने और अद्यतन करना।

5.4 ग्राम पंचायत-

i. सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने हेतु पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग की सहायता करना।

ii. सर्वेक्षण के बारे में गाँव के निवासियों में जागरूकता पैदा करना।

iii. मौजूदा ग्राम पंचायत संपत्ति सम्बन्धी उपजब्ध अभिलेख, रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एसओआई और जांच अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।

iv. सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय।

v. संपत्ति कर और ग्राम पंचायतों का संपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करना।

vi. संपत्ति के मालिकों से प्राप्त सर्वेक्षण पश्चात आपत्तियों के समाधान में सहायता करेंगी। ये मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं, संयुक्त होल्डिंग आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं। अनसुलझी आपत्तियों/विवादों के लिए अंतिम निर्णय का अधिकार जिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी के पास होगा।

5.5 सम्पत्ति का मालिक-

i. माप और सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों का सहयोग करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ii.संबंधित प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो) प्रस्तुत करना।

5.6. एनआईसी- जीआईएस-

i. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी की सहायता करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/नक्शे का लाभ उठाकर मंत्रालय के स्थानिक योजना अनुप्रयोग "ग्राम मानचित्र" को बढ़ाएं।

ii. इस स्कीम के ऑनलाइन निगरानी और डैशबोर्ड के रिपोर्टिंग की होस्टिंग के विकास और रख-रखाव।

iii. संचयन (यदि आवश्यक हो) और ड्रोन योजना के तहत निर्मित डीईएम और जीआईएस डेटाबेस को होस्ट करें।

5.7. राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश/राजस्व परिषद-

i. भूमि रिकॉर्ड विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) स्कीम के तहत उपलब्ध एवं वित्त पोषित डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस स्कीम के तहत बनाए गए डेटा की होसिं्टग और संचयन के लिए उपयोग को सुगम बनाना।

5.8 संयुक्त उत्तरदायित्व (राज्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग)-

i. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिन राज्यों में भारतीय सर्वेक्षण के साथ एक मौजूदा समझौता ज्ञापन है, जिसमें आपसी दायित्वों में काफी हद तक समानता हैं, नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. ग्राउंड कंट्रोल प्वॉइंट्स से संबंधित गतिविधियों का एक हिस्सा राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (जिसके पास स्वयं की ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट लाइब्रेरी भी है) द्वारा पूरा किया जाना है। यदि आवश्यक हो, तो भारत के सर्वेक्षण द्वारा दोनों विभागों से ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट लाइब्रेरी का उपयोग करके घनत्व कम किया जाएगा ।

iii. सर्वेक्षण आंकड़ों का उपलब्ध रिकार्डों से सम्मेलन एवं प्रत्येक भू-पार्सल के डायमेंशन को अंतिम रूप

6. संक्षेप में सर्वेक्षण प्रक्रिया

6.1. जिलाधिकारी द्वारा ग्राम आबादी का सर्वेक्षण कर ग्राम आबादी के अधिकार अभिलेख व मैप तैयार करने के लिये विधिक अधिसूचना प्रख्यापित करेंगे।

6.2. ग्रामों के स्कैन्ड शजरों/मानचित्रों को जिनमें ग्राम आबादी का क्षेत्र दर्शाया गया हो, तहसील/जिला प्रशासन द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6.3. राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम आबादी/सर्वेक्षण क्षेत्र का निर्धारण उसके चारों तरफ सीमाचिन्ह/सिहद्दे लगायेंगे।

6.4. पंचायती राज विभाग गांव के निवासियों को सर्वेक्षण की अनुसूची के बारे में सूचित करने और सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम सभा में बैठकें आयोजित करेगा।

6.5. गठित सर्वे टीमें प्रतिदिन 12 ग्राम प्रति ड्रोन के अनुसार ग्राम आबादी में व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की ग्राउंड मार्किंग चूना डालकर करेंगे। विवादित सम्पत्तियों के चिन्हांकन के लिये चूने की दोहरी रेखा का प्रयोग किया जा सकता है।

6.6. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा चिन्हित व ग्राउण्ड माक्र्ड आबादी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानव रहित हवाई वाहन/ड्रोन का उपयोग कर एरियल छवियां ली जायेंगी।

6.7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन मैपिंग के उपरान्ज चिन्हित सम्पत्तियों के कोड न0, नक्शा व फील्ड बुक आपत्ति आमंत्रित करने हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे।

6.8. .भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारा सौंपे गये मानचित्र पर भूमि प्रबन्धक समिति गली, प्लाट, रिक्त स्थान शासकीय/ग्राम सभा सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन करेगा अर्थात सम्पत्ति पर कौन काबिज है,
सम्पत्ति की क्या चैहद्दी है आदि का मिलान कर विवरण व फील्ड बुक तैयार करेगा।

6.9. इस कार्य के पश्चात इस विवरण पर आपत्ति मांगी जायेगी जो नाम में गलती, सीमाओं पर आपत्ति, आई डी संख्या पर आपत्ति अर्थात संयुक्त परिवार को एक आईडी दी गई हो और वो अपनी आईडी अलग कराना चाहता हो अथवा इसका उल्टा, क्षेत्रफल पर आपत्ति आदि प्रकार की हो सकती हैं। यदि कोई विवाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है तो उस सम्पत्ति का आईडी न0 देकर शेष तथ्यों का निस्तारण वाद निपटारे के पश्चात किया जायेगा।

6.10. आपत्तियों को सुनकर उनका ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से किया जायेगा। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आपत्ति का निस्तारण नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

6.11. तत्पश्चात अभिलेखों को विधिक वैधानिकता प्रदान करने के लिये नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार उसका प्रख्यापन किया जायेगा।

6.12. इन अभिलेखों का अद्यतनिकरण नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

07. <u>जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियाँ</u>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिलाधिकारी एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र को अधिसूचित करेगा।
2. ड्रोन उड़ान की स्वीकृति सर्वे आफ इण्डिया को सक्षम अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
3. आम जनता में जागरूकता एवं योजना के प्रचार-प्रसार की कार्यवाही।
4. जिले में उपस्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों की लोजिस्टिक्स सहायता ।
5. यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्यशाला भवन या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत के सभागृह आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जावें।
6. यह सुनिश्चित करना कि तहसील स्तरीय प्रशासनिक अमला तथा जिलापंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस विषय से भली-भांति अवगत कराया जाये जिससे योजना में उनकी सहभागिता प्राप्त हो सके।

08. <u>तहसील स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियाँ</u>

1. सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय।
2. उपस्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा जमीनी स्तर पर किये जाने वाले कार्य में सहायता एवं समन्वय।
3. आम जनता में जागरूकता एवं योजना के प्रचार प्रसार की कार्यवाही।
4. यह सुनिश्चित करना की विभिन्न विभागों को आबादी में उनकी संपत्ति के चिन्हांकन हेतु उपस्थिति की सूचना दे दी गयी है।

09. <u>विशेष ग्राम सभा जागरूकता बैठक में रखे जाने वाले विषय</u>

1. **ग्राम पंचायत का हित-**
    - संपत्ति रजिस्टंर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थायी आय की व्यवस्था होगी।
    - ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्राधिकार में संपत्ति धारण करने वालों की जानकारी से समग्र आई.डी. डाटा से अद्यतन रहने पर ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा होगी।
    - ग्राम पंचायत की संपत्ति, शासकीय व सार्वजनिक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आयेगी।
    - प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से ग्राम में निजी सम्पत्ति के विवाद कम होंगे।
- 2. **ग्राम वासियों के हित-**
    - प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण-पत्र एवं भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा।
    - यंत्रों (ड्रोन) के माध्यम से कार्य होने के कारण अभिलेख का निर्माण शीघ्रता से एवं शुद्धता के साथ होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा।
- रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर की सीमाएं निश्चित होंगे जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।
- संपत्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से मकान पर बैंक से कर्जा लेना आसान होगा।
- आबादी क्षेत्र का भूमापन पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर एक संपत्तिधारक को उनका अधिकार अभिलेख प्राप्त होगा।

3. **ड्रोन सर्वे कार्य के समय ग्राम वासियों के कर्तव्य-**
   - ग्रामसभा में अधिक से अधिक सख्या में उपस्थित होकर आबादी क्षेत्र के भू-मापन की प्रक्रिया एवं उससे होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त करें।
   - ग्राम पंचायत को अपनी संपत्ति की जानकारी देना चाहिए।
   - ग्राम पंचायत सचिव एवं लेखपाल को अपनी सम्पत्ति, नाम, पता,मोबाइल नंबर, आधार नम्बर, समग्र आदि जानकारी देना चाहिए जिससे अधिकार अभिलेख में सही जानकारी आ सके।
   - गांव में अपने पडोसी मित्र और रिश्तेदारों को ड्रोन सर्वे के बारे में जानकारी देना चाहिए।
   - ऐसे व्यक्ति जिनकी गांव में संपत्ति है और वे गांव से बाहर रहते है उनको इस सर्वे के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनके मोबाइल नंबर लेखपाल अथवा पंचायत सचिव को उपलब्ध कराना चाहिए।
   - ड्रोन से सर्वे के दौरान सम्पत्ति धारक मौके पर आपसी सहमति से चूना लाइन डालकर अपने विवादों को पूर्ण रूप से हल कर सकेगे।
   - किसी सम्पत्ति के विषय में यदि कोई विवाद किसी न्यायालय में चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी देना चाहिए।

10. **प्रदेश में ग्रामीण आबादी के सर्वे का आच्छादन-**

➢ भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही उक्त योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य MoU हस्ताक्षरित एवं सम्पादित किया जा चुका है। उक्त योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 54022 ग्रामों जिनका शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन है, को ड्रोन सर्वे हेतु चिन्हित किया गया है। उक्त के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 10 मण्डलों- आजमगढ़, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, बस्ती, देवीपाटन, झाँसी एवं चित्रकूट के 37 जनपदों के कुल 50294 ग्रामों की ग्रामीण आबादी का ड्रोन प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया प्रारम्भ की गयी है। शेष 3728 ग्राम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 08 मण्डलों से लिये जायेंगे। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के लगभग 100 ग्राम सम्मिलित हैं। शीघ्र ही इन शेष ग्रामों को भी, जिसमें डिजिटाइज्ड मैप उपलब्ध हैं, को सर्वे हेतु

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिसूचित किया जायेगा। जनपदवार चयनित ग्रामों का संख्यावार विवरण संलग्नक 01 के रूप में संलग्न है।

- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु चरणबद्ध समय सीमा निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत हैः-
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के राजस्व विभाग के बीच 15 मई, 2020 तक समझौता ज्ञाप पर हस्ताक्षर किया जाना।
- पूरे-पूरे राज्य में उन जिलों का चयन करना, जहाँ 15 मई, 2020 तक सर्वेक्षण और मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।
- दिनाँक 30 अगस्त, 2020 तक सर्वेक्षण-पूर्व और सर्वेक्षण कार्य पूरा करना।
- राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 15 दिसम्बर, 2020 तक सर्वेक्षण पश्चात कार्य पूरा करना।
- दिनाँक 25 दिसम्बर, 2020 तक ग्रामीणों को ''सम्पति अधिकार प्रलेख'' वितरण कार्य शुरू करना और इसे 31 मार्च, 2021 तक पूरा करना।

11. भारत सरकार द्वारा तैयार कर उपलब्ध करायी गयी रूपरेखा के अनुसार सर्वेक्षण कार्य के संचालन एवं प्रगति के सतत पर्यवेक्षण के लिए शासन के आदेश संख्या-249/एक-14/2019 दिनाँक 29 मई, 2020 द्वारा निम्न समितियों का गठन किया गया है-

11.1 राज्य स्तरीय संचालन समिति (State Steering Committee-SSC)

1	अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य सचिव
3	प्रमुख सचिव न्याय द्वारा नामित अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	सचिव पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
5	सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
6	सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
7	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य
8	एम.ओ.पी.आर. भारत सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य
9	शहरी/ नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।	सदस्य
10	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश।	सदस्य
11	अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी।	सदस्य
12	निदेशक, रिमोट सेंसिंग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	अपर मुख्य सचिव राजस्व द्वारा नामित मण्डलायुक्त।	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित जिलाधिकारी।	सदस्य
15	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।	सदस्य

11.2 **राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई समिति**(State Programme Management Unit-SPMU)

1	अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य सचिव
3	सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
4	सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
5	आयुक्त, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
6	प्रभारी अधिकारी, अनुभाग-9 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, राजस्व द्वारा नामित मण्डलायुक्त।	सदस्य
8	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव, राजस्व द्वारा नामित जिलाधिकारी।	सदस्य
10	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय निदेशक।	सदस्य
11	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश।	सदस्य
12	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार।	सदस्य
13	निदेशक रिमोट सेंसिंग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
14	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।	सदस्य

11.3 जनपद स्तरीय देखरेख एवं समीक्षा समिति(District Monitering And Review Commettee- DMRC)

1	जिलाधिकारी।	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक।	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी।	सदस्य
4	अपर जिलाधिकारी, भूलेख/ मुख्य राजस्व अधिकारी।	सदस्य सचिव
5	जिला पंचायत राज अधिकारी।	सदस्य
6	उप संचालक चकबन्दी।	सदस्य
7	नियमावली में विहित प्राधिकारी।	सदस्य
8	सम्बन्धित उपजिलाधिकारी	सदस्य
9	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.	सदस्य
10	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्री सदस्य
11	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. भारत सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत राजस्व परिषद से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 37 जनपदो के कुल 50292 ग्रामों की ग्रामीण आबादी का सर्वे कराये जाने सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है, जो shashanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा सर्वे की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु चरणबद्ध रूप से समय सीमा निर्धारित की गयी है। जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर दिनाँक 25 दिसम्बर, 2020 तक ग्रामीणों को सम्पत्ति अधिकार प्रलेख वितरण का कार्य शुरू कर इसे 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाना है।

13. **पाइलेट सर्वे किया जाना**

सर्वे हेतु अधिसूचित ग्रामों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। अधिसूचित ग्रामों में से जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद से किन्ही 05 ग्रामों को चिन्हित कर पाइलेट सर्वे की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 15 अगस्त, 2020 तक पूर्ण किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि इन सभी 05 ग्रामों में स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण-पत्र/पट्टा वितरित किया जाये। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा सम्भव न हो पाये तो कम से कम 01 ग्राम में प्रमाण-पत्र/ पट्टा अनिवार्य रूप से उक्त तिथि में वितरित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनाँक- तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक, सर्वे आफ इण्डिया, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधेश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

स्वामित्व योजना हेतु जनपदवार चयनित ग्रामों की संख्या की सूची				
क्र0	जनपद	जनपद में तहसीलों की संख्या	जनपद मे कुल ग्रामों की संख्या	परिषद के अनुसार पोर्टल पर लिंक ग्रामों की संख्या
1	अम्बेडकर नगर	5	1792	914
2	अमेठी	4	1000	739
3	अयोध्या	5	1300	1019
4	सुलतानपुर	5	1741	1062
5	बाराबंकी	6	1845	1722
6	झांसी	5	857	845
7	जालौन	5	1155	1159
8	ललितपुर	5	754	736
9	प्रयागराज	8	3196	2112
10	प्रतापगढ़	5	2240	1628
11	कौशाम्बी	3	879	564
12	फतेहपुर	3	1552	1332
13	चित्रकूट	4	653	263
14	बांदा	5	761	602
15	हमीरपुर	4	635	544
16	महोबा	3	521	489
17	गोण्डा	4	1820	1092
18	बलरामपुर	3	1017	942
19	बहराइच	6	1387	751
20	श्रावास्ती	3	536	494
21	बस्ती	4	3376	3273
22	सन्तकबीर नगर	3	1733	1396
23	सिद्धार्थ नगर	5	2545	1837
24	गोरखपुर	7	3448	3044
25	देवरिया	5	2178	1895
26	महाराजगंज	4	1257	1043
27	कुशी नगर	6	1642	1458
28	आजमगढ़	8	4122	2942
29	बलिया	6	2312	1567
30	मऊ	4	1653	1430

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31	वाराणसी	3	1427	1148
32	गाजीपुर	7	3435	2393
33	चंदौली	5	1651	1457
34	जौनपुर	6	3442	2432
35	मीरजापुर	4	2003	1672
36	संतरविदास नगर	3	1264	875
37	सोनभद्र	3	1441	1421
38	मेरठ	3	712	100
39	बुलन्द शहर	7	1255	100
40	गौतमबुद्ध नगर	3	398	100
41	गजियाबाद	3	264	100
42	हापुड	3	366	100
43	बागपत	3	315	100
44	मुरादाबाद	4	1208	100
45	रामपुर	6	1200	100
46	बिजनौर	5	3005	100
47	अमरोहा	4	1135	100
48	सम्भल	3	1022	100
49	सहारनपुर	5	1605	100
50	मुजप्फरनगर	4	710	100
51	शामली	3	322	100
52	अलीगढ़	5	1231	100
53	हाथरस	4	683	100
54	एटा	3	883	100
55	कासगंज	3	719	100
56	आगरा	6	994	100
57	फिरोजाबाद	5	824	100
58	मैनपुरी	6	858	100
59	मथुरा	5	891	100
60	बरेली	6	2116	100
61	शाहजहांपुर	5	2335	100
62	पीलीभीत	5	1440	100
63	बदांयू	5	1713	100
64	कानपुर नगर	4	1106	100

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

65	कानपुर देहात	6	1036	100
66	इटावा	6	706	100
67	औरया	3	851	100
68	कन्नौज	4	761	100
69	फरूखाबाद	3	1020	100
70	लखीमपुर खीरी	7	1797	100
71	सीतापुर	7	2373	100
72	हरदोई	5	2074	100
73	उन्नाव	6	1798	100
74	लखनऊ	5	961	30
75	रायबरेली	6	1610	100
		350		54022

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।